कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0

परिपत्रॉक सी– 51 /अधि0 रिट–14 / दिनॉकः लखनऊः 29 अक्टूबर 2015

1–समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता,उत्तर प्रदेश।,

2–समस्त क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
सहकारिता,उत्तर प्रदेश।

विषयः–मा0 उच्च न्यायालय में अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बन्धित लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्रॉक सं0 सी–39/अधि0 रिट–14/ दिनॉक 01.09.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको निर्देश दिये गये थे कि मा0 उच्च एवं उच्चतम् न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं में प्रभावी पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय से समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का कडाई से परिपालन सुनिश्चित कराते हुये अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बन्धित दिनॉक 30.6.2015 तक की समस्त लम्बित याचिकाओं में दिनॉक 31.10.2015 तक हर हाल में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये कि दिनॉक 30.6.2015 तक की अधिकोषण/संग्रह योजना से सम्बन्धित मण्डल की समस्त लम्बित याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा दिया गया है तथा उक्त तिथि से पूर्व की किसी याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अब शेष नही है।

आप द्वारा उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशो का परिपालन व्यक्तिगत रूचि लेकर शतप्रतिशत रूप से करा लिया गया होगा। यदि कही पर उक्तानुसार शतप्रतिशत परिपालन अभी तक न हुआ हो तो व्यक्तिगत रूचि लेते हुये अनिवार्य रूप से दिनॉक 31.10.2015 तक अधि0/संग्रह योजना की लम्बित याचिकाओं में शतप्रतिशत प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराते हुये दिनॉक 5.11.2015 तक उक्त परिपत्र में प्रेषित प्रारूप पर प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में विलम्ब को गम्भीरता से लिया जायेगा।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0
लखनऊ।

bpg